यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खनन अ धकारी अल्मोडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी अल्मोडा के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.09.17 से 12.09.17 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रथम लेखा परीक्षा है। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं .....-..... पर्यवेक्षक द्वारा दनांक .....-.. से .....-..... तक श्री .....-..... लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह ..-... से ....-..... तक एवं व्यय हेतु माह ....-..... से .....-..... तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह .....-..... से .....-..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः समस्त जनपद अल्मोडा के खनन सम्बन्धी कार्य एवं भू अ भयान्त्रिक कार्य।

(ii) (ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13	362.30
2013-14	573.16
2014-15	464.53
2015-16	623.16
2016-17	704.62

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
		डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता।						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
	डी.डी.ओ कार्य नहीं कया जाता।				

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन के द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव - निदेशक - अपर निदेशक - ज्येष्ठ खान अ धकारी

(iii) **(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन समस्त जनपद अल्मोडा के खनन सम्बन्धी कार्य एवं भू अ भयान्त्रिक कार्य। की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2014, 10/2015, 03/2017 को आय एवं व्यय के विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

माह ..... को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 1 : रॉयल्टी की धनरा श `3.78 लाख जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड औध्यो गक वकास अनुभाग के पत्रांक 1914/VII-I/ख/2013 दिनाँक 10.10.2013 से जनपद अल्मोड़ा के तहसील जैती के ग्राम बाराकोट के अंतर्गत कुल 1.026 है॰ नाप भू म में 05 वर्ष हेतु उप-खनिज चुगान के लये श्री धन संह पुत्र श्री लछम संह के पक्ष में खनन/ चुगान पट्टा स्वीकृत कया गया था। उक्त पट्टे का पट्टा वलेख दिनाँक 05.03.2014 को निस्पादित कया गया था । उक्त खनन पट्टे की त्रैमा सक कस्त प्रथम वर्ष के लये ` 1,00,000/-, द् वतीय वर्ष के लये `1,25,000/-, तृतीय वर्ष के लये ` 1,56,250/-, चतुर्थ वर्ष के लये ` 1,95,312.50/- तथा पंचम वर्ष के लये `2,44,141/- निर्धारित कया गया था ।

पट्टाधारक की खनन संबंधी पत्रावली व अ भलेखों की जाँच में पाया गया क पट्टाधारक द्वारा तृतीय वर्ष (2016) की दो त्रैमा सक कस्त ` 1,56,250/- ( सतंबर 2016-नवंम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016-फरवरी 2017) तक का ` 3,12,500/- रॉयल्टी जमा नहीं कया गया था एवं माह मार्च 2017 की कस्त भी `65104/- (1,95,312.50/3) भी जमा नहीं कया गया था । इस प्रकार कुल रॉयल्टी धनरा श ` 3,77,604/- पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं कया गया था जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने रॉयल्टी जमा न होने को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया क रॉयल्टी जमा करने हेतु पत्र प्रे षत कया गया है एवं लेखापरीक्षा ति थ तक पट्टा निरस्त नहीं कया गया है ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 2 : वनियमतिकरण व नवीनीकरण शुल्क की धनरा श ` 3.50 लाख जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन औध्यो गक वकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 2(छ) के अनुसार जिला अल्मोड़ा पर्वतीय क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग है। उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्था पत/संचा लत स्टोन क्रेशर स्वा मयों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घो षत कया जाना था । घो षत प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का वनियमतिकरण जिला धकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा कया जाना था । वनियमतिकरण शुल्क की गणना घो षत क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार कया जाना था । इस रा श में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनरा श का 50 प्रतिशत धनरा श निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था । नीति की घोषणा के एक माह बाद प्रपत्र जे केवल वनियमतिकरण प्लान्ट को ही जारी कया जाना था । आगे अध्याय-II के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर का आवेदन शुल्क ` 5.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) तथा ` 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन/घण्टा अथवा उसके भाग पर) निर्धारित था । अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रेशर का नवीनीकरण वा र्षक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था ।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, अल्मोड़ा के क्षेत्रा धकार में स्टोन क्रेशर की पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ग्राम- आगर नौला, चोखुटिया, अल्मोड़ा को 200 टन/प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 03 वर्ष की अव ध के लये दिनाँक 29.09.2014 को अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी तथा इस हेतु ` 50000/- चालान के माध्यम से आवेदक द्वारा जमा कए गए थे।

आगे जाँच में पाया गया क नीति के बिन्दु-9 के अनुसार संचालक द्वारा प्लान्ट के वनियमतिकरण हेतु अवशेष धनरा श ` 225000/- (5,00,000-50,000=4,50,000 x 50%) निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गयी थी ।

इसके अतिरिक्त अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा स्टोन क्रेशर का वा षिक नवीनीकरण शुल्क `1,25,000/- (5,00,000 x 25%) भी जमा नहीं कराया गया था । इस प्रकार कुल 3,50,000/- (2,25,000 + 1,25,000) धनरा श स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा राजकोष में जमा नहीं की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया क स्टोन क्रेशर संचालक को प्रति घण्टा क्षमता के संबंध मे पत्र निर्गत कया जा चुका है तथा आप त्तगत धनरा श के सम्बंध में स्टोन क्रेशर स्वामी को आवश्यक निर्देशों के साथ आदेश निर्गत कए जायेंगे । इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2016 के उपरांत संचालक को ई प्रपत्र–1 जारी कया जाना भी स्वीकार कया गया।

अतः स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा नियमानुसार वनियमतिकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ख

प्रस्तर-3: मा सक ववर णयाँ (एम॰-12) समयांतर्गत प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण `1.30 लाख।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बंध में मा सक ववरणी अनुवर्ती माह के द् वतीय सप्ताह में प्रपत्र एम॰ एम॰-12 में जिला अ धकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । पुनः उत्तराखंड, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 6(6) के अनुसार त्रैमा सक ववरणी के स्थान पर मा सक ववरणी का प्रावधान करते हुए अर्थदण्ड की धनरा श को बढ़ाकर ` 2,000 कर दिया गया था ।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, अल्मोड़ा के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 06 पट्टाधारकों (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा अपनी मा सक ववरणी (एम॰ एम॰ 12) या तो वलम्ब से जमा की गयी अथवा जमा ही नहीं की गयी थी । अतः कार्यालय ज्ञाप के अनुसार 06 पट्टाधारकों द्वारा अपनी 65 मा सक ववर णयाँ वलम्ब से प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत ही न करने पर `2,000 प्रति ववरणी की दर से `1,30,000/- अर्थदण्ड जमा कराने में इकाई वफल रही । जिसके परिणामस्वरूप वभाग `1,30,000/- अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त करने से वं चत रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क पट्टेधारकों का पक्ष जानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला खनन अ धकारी अल्मोडा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री लेखराज	जिला अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला खनन अ धकारी अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा
अधिकारी